

भारतीय रेल
बनारस रेल इंजन कारखाना
वाराणसी

कार्यालय : महाप्रबंधक (का.)

दिनांक : 15.10.2022

आवास आवंटन संख्या- 56/2022

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र सं.- म.प्र. (का.)/आ.आ. / सितम्बर /22 दिनांक 13.09.2022 के संदर्भ में रिक्त आवासों का ओपेन ऑप्शन के तहत वरीयता के आधार पर आवंटन आदेश निम्न प्रकार से जारी किया जाता है :-

टाइप-IV

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री), कर्म. सं. एवं पात्रता तिथि	पदनाम	कार्यस्थल	आवंटित आवास सं.	कोड
1.	दिवाकर, 18758 06.04.2015	एसएसई	एमए-1	263/A	41

टाइप-III

2.	अमित कुमार श्रीवास्तव, 12177 27.01.2011	एमसीएम	एल.एफ.एस.	337/A	33
3.	अजय कुमार सिंह, 11979 14.01.2005	एसएसई	एल.एफ.एस.	388/B	33
4.	सुनील कुमार सिंह, 18619 09.10.2014	जेई	एल.एफ.एस.	397/B	33
5.	सुशील कुमार सोनकर, 15599 15.03.2014	मशी.	पी.सी.ओ.	155/L	32
6.	अरविन्द कुमार यादव, 18563 18.11.2014	जेई	निरीक्षण	807/D	32
7.	संजीव कुमार सिंह, 12019 27.10.2010	का.अधी.	मु.वि.स.इंजी.	506/C	31
8.	महातम यादव, 53199512841 06.07.2017	जेई	प्लांट ऑफिस	507/D	31
9.	अभिषेक गुप्ता, 19167 24.03.2018	एसएसई	सी.डी.ई. कार्यालय	520/C	31
10.	जितेन्द्र कुमार, 50301193417 03.03.2022	व.लिपिक	GSD	927/A	31

टाइप-II

11.	तिरुपति नाथ, 19006 19.09.2016	एसएसई	स्माल टूल	556/F	24
-----	----------------------------------	-------	-----------	-------	----



12.	शेखर पुण्डरीर, 51229800102 23.07.2022	मेको.	एमए-III.	588/G	24
13.	चंद्रावती मौर्या, 51229800154 17.12.2021	इले.	टीएएस	589/G	24
14.	अवधेश कुमार मौर्या, 53109748969 13.06.2018	फिटर	एल.ए.एस.	603G	24
15.	अबोध कुमार मंडल, 50301187480 14.03.2022	फिटर	एस.एम.एस.	609/F	24
16.	दिलीप सिंह, 18954 03.03.2006	हेल्पर	GSD	629/H	24
17.	सूचित कुजूर, 18274 01.11.2020	वेल्डर	एल.एफ.एस	729/H	24
18.	राहुल कुमार, 52500541236 10.08.2022	जेई	एल.टी.एस.	555/A	23
19.	दीपक, 51229800044 06.08.2021	मेका.	सी.टी.एस.	633/C	23

टाइप-I

20.	सुरेश प्रसाद शर्मा, 18319 01.01.2014	हेल्पर	एल.टी.एस.	754/E	14
21.	संतोष कुमार, 18220 24.12.2013	हेल्पर	एच.एम.एस.	139/L	12

खण्ड-ख

टाइप-II

22.	धनंजय कुमार सिंह, 11878 26.03.1999	हेल्पर	सिविल	685/G	24
23.	गायत्री पटेल, 18524 19.11.2014	हेल्पर	टी.ए.एस.	686/G	24
24.	मुन्ना ठाकुर, 12221402498 18.12.2017	हेल्पर	GSD	606/C	24
25.	जगनारायण सिंह, 18018 30.05.2013	हेल्पर	विपणन विभाग	607/B	23
26.	मो. अफसर खान, 51110800347 26.12.2018	हेल्पर	टी.एम.एस.	628/B	23
27.	ए. खान, 19122 02.05.2017	हेल्पर	GSD	642/D	23
28.	दिनेश कुमार चौधरी, 50714203070 23.01.2021	हेल्पर	GSD	684/B	23

29.	गोपी कुमार झा, 14047 15.08.2015	हेल्पर	समय कार्यालय	624/F	22
30.	राकेश रंजन, 19096 17.03.2017	हेल्पर	GSD	652/H	22
31.	मोना बाबू, 19161 23.02.2017	हेल्पर	म.प्र.(का.)	674/H	22
32.	पिंकू नाईक, 19185 18.03.2020	हेल्पर	GSD	675/G	22


(आर. के. चौधरी)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी /कर्म.

संख्या : म. प्र.(का.)/आ. आ./अक्टूबर/2022

दिनांक : 15.10.2022

- 1) प्रमुख वित्त सलाहकार, प्रमुख मु. विद्युत अभियंता, प्रमुख मुख्य अभियंता, सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ आकड़ा प्रबंधक, उप मु. वि. अभि., व वरिष्ठ अभियंता ।
- 2) वरि. आकड़ा प्रबंधक कृपया निम्नलिखित आवंटित आवासों की सूची को-ब. रे. का. की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करवाएँ ।
- 3) मुख्य कार्यालय अधीक्षक /वेतन अनुभाग- म.प्र.(कार्मिक)/कर्मशाला कार्यालय ।
- 4) संयुक्त सचिव एवं सदस्य कर्मचारी परिषद एवं महामंत्री- एससी व एसटी एवं ओबीसी एसो. ।
- 5) रेल सेवा आचरण नियम-1966 की धारा 15-'क' के अंतर्गत उप किरायेदारी एवं व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग में पाये जाना गंभीर दुराचार है। आकस्मिक जाँच के दौरान यदि आवास उप किरायेदारी इत्यादि पर दिया हुआ पाया गया तो आवास निरस्त करने के साथ साथ उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।
- 6) संबंधित कर्मचारी ।

नोट:

- (क) उपरोक्त आवासों का आवंटन मैनुअली नयी प्रोग्रामिंग के पश्चात किया गया है । अतः किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु कर्मचारी द्वारा दिनांक 22.10.2022 तक आवास अनुभाग में प्रतिवेदन दिया जा सकता है । प्राप्त प्रतिवेदनों पर नियमानुसार सुधार किया जायेगा । उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त कोई प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- (ख) इस आदेश के जारी होने के दिनांक 22.10.2022 के पश्चात् कर्मचारी आवंटित आवास अवधारण के लिए संबंधित सीसेई (कार्य) को आवेदन देने तथा अवधारण हेतु संपर्क करेंगे । आवास अवधारण 15 दिन के अंदर अवश्य कर लें तथा उसकी सूचना संबंधित सीसेई (कार्य) को भी अवश्य दें ।

- (ग) नये आवास आवंटित होने पर कर्मचारी संबंधित सीसेई (कार्य) को आवास आवस अवधारण करने हेतु 15 दिन के अन्दर आवेदन अवश्य दे दें । यदि 15 दिन के अन्दर नये आवास के अवधारण हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है अथवा कोई सूचना संबंधित सीसेई (कार्य) को नहीं प्राप्त होता है तो आवंटित आवास निरस्त किया जा सकता है तथा संबंधित कर्मचारी को 01 वर्ष के लिए उस टाइप के सभी कोड के लिए डिबार भी कर दिया जायेगा । जिस कर्मचारी के पास पहले से आवास आवंटित है तथा उसे नया आवास आवंटित किया गया है । वह कर्मचारी नये आवास का अवधारण लेने की तिथि से 05 दिन के अंदर अपने पुराने आवास को रिक्त कर दें । सीसेई /कार्य- पूर्वी, पश्चिमी व केन्द्रीय यह सुनिश्चित करें कि 20 दिन के बाद किसी कर्मचारी के पास दो आवास न रहे तथा इसकी सूचना आवास अनुभाग को भेजें ।
- (घ) आवास आवंटन के पश्चात आवास अवधारण करने के बाद यदि किसी भी स्रोत से यह पता चला कि कर्मचारी ने किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किया है तो उसे व्यावसायिक उपयोग मानते हुये जाँच के उपरांत आवास आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा ।

25/10/22
कृते महाप्रबंधक (कर्मिक)
15/10/22